मासिक समाचार पत्र

RNI - MPHIN/2020/83379

आधार जायसवाल, इंदौर
15/02/2016

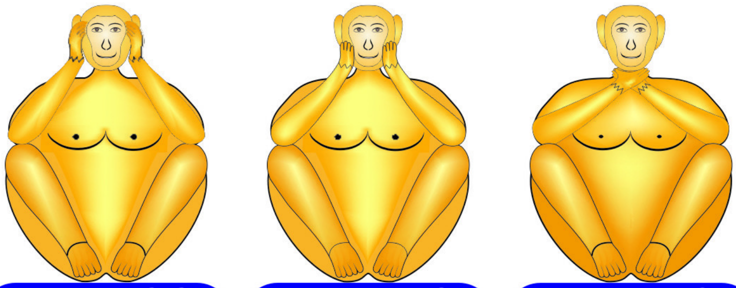

बुरा मत सोचो बुरा मत मानो बुरा मत करो

प्रधान संपादक : आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल द्वारा बंदरों की परिकल्पना 16 मई 2010 (जनहित में जारी)

कार्ड शिवहरे,जबलपुर
02/02/2015

वर्ष -4 अंक-11 इन्दौर, 15 जनवरी 2024 पृष्ठ - 8 मूल्य 1 रुपये

सुविचारः हर प्रयास गलतियों की शुरुवात से प्रारंभ होता है:- आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल

Aadhaarcardkejanaksuniljaiswal@gmail.com

'घर परिवार और अपनो को मुझे बचाना है मुझे आज ही वैक्सीन लगवाना है'

सुनीता मुरारीलालजी गुप्ता, उमा दीदी, अनील जी गोयल उज्जैन एवं रज्जू भैय्या कन्नड़, भारूका परिवार।

दैनिक भास्कर के ओम चौधरीजी का परिवार, वेटेनरी कॉलेज, महू

दैनिक राजीव टाइम्स के प्रधान सम्पादक श्री राजेन्द्र खण्डेलवालजी, मनोज दधीच।

समाचार पत्र ग्लोबल हेराल्ड के प्रधान सम्पादक श्री विष्णु गोयलजी।

दीपक जायसवाल गणपति, नागपुर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

मुकेश अंबानी हाऊस में कार्यरत् गणपतराज मेवाड़ा कलाल को हार्दिक बधाई।

जब आधार कार्ड है साथ, तो डरने की है क्या बात।

राजेश बिजवा परिवार, सांवेर रोड़, इन्दौर

नरेन्द्र खाबिया परिवार, जूना पीठा, इन्दौर

महेश जायसवाल, बृजमोहनजी चौकसे, राजा जायसवाल, प्रहलाद जायसवाल, पप्पू हार्डिया, विशाल जायसवाल

शरद सिंह राठौर, कमल जाट, गेंदालाल चौधरी, शैलेन्द्र सिंह बुंदेला उप निरीक्षक घाटा बिल्लौद, महेश जायसवाल, बृजमोहनजी चौकसे, राजा जायसवाल, ट्रेफिक पुलिस जाट जी, प्रहलाद जायसवाल, पप्पू हार्डिया, अनिल जायसवाल नन्दी हील अमन-चमन टैकरी बेटमा के कार्यक्रम में।

खुलासा टूडे समाचार पत्र के अंकुर जायसवाल, पत्रकार जितेन्द्र भगत, मौसमी शिवहरे जबलपुर, विधायक गोलू शुक्ला, जितेन्द्र सोलंकी, पूर्व एसपी राजेश जायसवाल, पंकज जायसवाल सागर

जब आधार कार्ड है साथ, तो डरने की है क्या बात।

भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवाल

व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्चूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज

द्वारा समस्त प्रियजनों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं...

भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवाल

व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्चूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज

द्वारा समस्त प्रियजनों को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं...

" करता सब के कल्याण का है काम, यही आधार कार्ड का है काम"

भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड के जनक 100 बिलियन + जिनियस सुनील जायसवाल

मौसमी स्टेन लैस स्टील, मासूम जायसवाल. ए.के. शर्मा जी बर्तन बाजार, इंदौर व समस्त जायसवाल, शिवहरे, राय एवं कल्चूरी, कलाल, कलवार, कलार समाज द्वारा समस्त प्रिय दिवंगत मित्रों व स्वजनों को दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि...

दैनिक भास्कर इंदौर 21-12-2023

निधन

छगनलाल चौधरी

दैनिक भास्कर के ओम चौधरी के पिता व मदनलाल, स्व. बाबूलाल एवं बद्रीलाल के भाई छगनलाल चौधरी (रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बीएसएफ) का बुधवार को निधन हो गया। अंतिम संस्कार पंचकुइया मुक्तिधाम पर हुआ। उठावना शुक्रवार को विजयश्री नगर (कालानी नगर), एयरपोर्ट रोड पर रखा गया है।

" करता सब के कल्याण का है काम, यही आधार कार्ड का है काम"

सोशल मिडिया पर प्रतिदिन प्रसारित
9827222811
https://youtu.be/xurY3eQlrSI
https://youtu.be/0XQf02Ub6fk
E-mail - aadhaarcardkejanaksuniljaiswal@gmail.com
http://www.aadhaarcardkejanaksuniljaiswalindore.com
सुविचार
भारत सरकार
द्वारा जारी
आधार कार्ड के जनक
सुनील जायसवाल
100 बिलियन+ जिनियस
लेखक–सुविचारक
I have to save house family and ours want it to get vaccination today itself.
॥ घर परिवार और अपनों को मुझे बचाना है, मुझे आज ही वैक्सीन लगवाना है ॥

काम की बात : आधार कार्ड असली है या नकली घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ऐसे चेक करें

नईदिल्ली। पहचान पत्र के तौर पर आज पूरे देश में आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। सिम कार्ड लेने से लेकर कॉलेज में एडमिशन और बैंक खाता खोलने तक में आधार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार को कैसे वेरिफाई किया जा सकता है।

पहचान पत्र के तौर पर आज पूरे देश में आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। सिम कार्ड लेने से लेकर कॉलेज में एडमिशन और बैंक खाता खोलने तक में आधार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार को कैसे वेरिफाई किया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक मकान मालिक हैं और आपके यहां कोई किरायदार आता है जो पहचान पत्र के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड देता है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे वह आधार असली है या नहीं? आप बहुत ही आसानी से आधार कार्ड की पहचान कर सकते हैं। यह काम आप अपने फोन से भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्यूआर कोड स्कैनर और दूसरा UIDAI की साइट वाला है।

सभी आधार कार्ड पर एक क्यूआर कोड होता है जो कि आधार के राइट साइड में होता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आधार पर दी गई पूरी जानकारी दिखती है। किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर या गूगल लेंस एप से आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करें।

यदि क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है या फिर कोड स्कैन करने पर सामने आई जानकारी आधार कार्ड पर दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा असली आधार कार्ड पर एक होलोग्राम स्टीकर भी होता है।

डेथ ऑफ़ बर्थ के लिए नहीं चलेगा आधार कार्ड, जानें क्यों बदला नियम, क्या होंगे परिणाम

नईदिल्ली। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को अहम दस्तावेज माना जाता था. लेकिन अब ड्डष्टड्ड ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को अमान्य कर दिया है. अब से जन्म के प्रमाण के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. UIDAI ने बहुत ही महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है. लेकिन इसे बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ी, जानते हैं। जो भी व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड पेश कर देते थे, उन्हें अब से जन्म प्रमाण पत्र ही पेश करना पड़ेगा।

कब से लागू हुआ यह नियम ?

यह नियम 1 दिसंबर से लागू हो चुका है, जिसकी कई लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र की तरफ से नियम में हुए बदलाव के बारे में जानकारी भी दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया।

फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

UIDAI का कहना है कि कई लोग आधार कार्ड में डेथ ऑफ़ बर्थ बदलकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे. नकली दस्तावेज बना रहे थे. अब जो नए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं उन पर भी यह जानकारी लिखी दिखेगी कि इस पर लिखी जन्मतिथि को प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें.

कई लोग सरकारी योजनाओं, पेंशन योजना खेलकूद प्रतियोगिता सहित अन्य कई जगहों से लाभ पाने या प्रवेश करने के लिए आधार कार्ड में जन्मतिथि से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा कर रहे थे. जिसे लेकर UIDAI पहले भी सख्त निर्देश जारी कर चुका है. लेकिन उसका फायदा नहीं दिख रहा था. जिसके बाद अब नया नियम लागू किया गया.

अब से जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र

जहां भी जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है वहां अब से आधार कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता है. आधार परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर राकेश वर्मा ने भी जन्म तिथि से जुड़े इस अहम नियम में बदलाव के बारे में बताया.

उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाना हो या, स्कुल-कॉलेज में एडमिशन या अन्य कोई सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड को लेकर पहचान पत्र के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है.

आ सकती है समस्या

पेंशन फंड जैसे कई प्रकार के काम के लिए जन्मतिथि के प्रमाण की आवश्यकता होती है. लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. ऐसे लोगों के पास उम्र को साबित करने का अन्य कोई प्रमाण पत्र भी हैं. तो इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

10 वर्ष पहले बने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं नागरिक

नईदिल्ली।सभी नागरिकों को पिछले 10 वर्ष पहले बने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने होंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए नागरिक जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में दस्तावेज अपडेट करवाएं।

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिला के नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड में आगामी 14 मार्च 2024 तक मुफ्त ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा मुहैया की है। इस दौरान आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के ऑनलाइन अपडेशन के लिए निवासियों का किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। वही आधार केंद्र पर 50 रुपए शुल्क देना होगा। ऐसे में नागरिक खुद भी आधार पोर्टल से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते है । उन्होंने ने बताया कि इससे पहले लोगों को आधार पोर्टल पर अपने दस्तावेज को अपडेट करने के लिए 25 रुपए का भुगतान करना पड़ता था ये सेवा केवल आधार पोर्टल पर मुफ्त हैं।

उन्होंने बताया कि आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है, जहां पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है। ऐसे में वे सभी नागरिक जिनके आधार कार्ड 10 साल पहले बने थे वह अपना आधार कार्ड मे दस्तावेज अपडेट जरूर करवाएं। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए नागरिक जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में दस्तावेज अपडेट करवाएं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुनील जायसवाल द्वारा पकंज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, एलयूएन-22, सेक्टर-एफ, इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर (मप्र) से मुद्रित एवं 35 शंकरबाग कालोनी, मरीमाता चौराहा, इंदौर,-452006 से प्रकाशित प्रबंध संपादक : आधार कार्ड के जनक सुनील जायसवाल , मोबाइल नं. 9827222811 (समस्त प्रकरणों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)